21/9/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। शपथ पत्र हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते शपथ पत्र दिनांक 10/10/2022 को पेश हो।

10/10/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। शपथ पत्र हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते शपथ पत्र दिनांक 09/11/22 को पेश हो।

9/11/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 30/11/22 को पेश हो।

30/11/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। [illegible] शपथपत्र पेश किया मौखिक [illegible] हेतु पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश हो।

19/12/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/01/23 को पेश हो।

25/01/23 वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/01/23 को पेश हो।

30/01/23 वादी अधिवक्ता [illegible] निर्णय अलग से लिखवाया जाकर [illegible]। वादी का वादपत्र स्वीकार [illegible] हो। डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 119/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. छिन्दा सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति महजबी सिख निवासी 16 जी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 08.06.2022

उपस्थितः 1.श्री भगवान दास अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 30.01.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 77 के खाता संख्या 83/83 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.199 हेक्टैयर भूमि वादी की माता के नाम 0.230 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी की माता का नाम बंसन्त कौर पुत्री मंगल सिंह दर्ज है। जबकि वादी की माता का सही नाम जसवन्त कौर पत्नी मलकीत सिंह है। वादी की माता के तमाम दस्तावेजात आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र में नाम जसवन्त कौर पत्नी मलकीत सिंह अंकित है। राजस्व अभिलेख में वादी की माता के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। उक्त संशोधन के लिए वादी ने तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो के समक्ष निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवाने हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति से वाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 77 के खाता संख्या 83/83 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.199 हेक्टैयर भूमि में वादी की माता का नाम बंसन्त कौर पुत्री मंगल सिंह के स्थान पर जसवन्त कौर पत्नी मलकीत सिंह किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5050 दिनांक 16.08.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 77 के खाता संख्या 83/83 में प्रार्थी की माता बसन्त कौर पुत्री मंगल सिंह के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की माता को 0.230 हेक्टैयर भूमि विरास्तन इन्तकाल संख्या 443 दिनांक 05.03.2019 से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उक्त जमाबन्दी में नाम बसन्त कौर से जसवन्त कौर दर्ज करवाना चाहता है। साक्ष्यवादी में वादी स्वयं उपस्थित ... शपथ पत्र बावत साक्ष्य पेश किया जो सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन ... वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। ... को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 77 के खाता संख्या 83/83 की प्रति, प्रार्थी की माता के आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रार्थी की माता के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 83/83 में क्रम संख्या 9 पर अंकित नाम बंसत कौर पुत्री मंगल सिंह के स्थान पर जसवन्त कौर पुत्री मंगल सिंह अंकित करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी की माता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र में नाम जसवन्त कौर पत्नी मलकीत सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 83/83 में प्रार्थी की माता बसन्त कौर पुत्री मंगल सिंह के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की माता को 0.230 हेक्टैयर भूमि विरास्तन इन्तकाल संख्या 443 दिनांक 05.03.2019 से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उक्त जमाबन्दी में नाम बसन्त कौर से जसवन्त कौर दर्ज करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी की माता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 83/83 में क्रम संख्या 9 पर दर्ज नाम बंसत कौर पुत्री मंगल सिंह के स्थान पर बंसत कौर उर्फ जसवन्त कौर पुत्री मंगल सिंह पत्नी मलकीत सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:06 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

छिन्दा सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 119/2022

निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री भगवान दास उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 83/83 में क्रम संख्या 9 पर दर्ज नाम बंसत कौर पुत्री मंगल सिंह के स्थान पर बंसत कौर उर्फ जसवन्त कौर पुत्री मंगल सिंह पत्नी मलकीत सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.01.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2023/39 दिनांकः 30.01.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:06 IST
Reason: SelfAttested